बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

।। संकल्प ।।

पत्रांक–02/स्था0–17–26/2008/ 1486 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 30/5/17

विषयः– राज्य आपदा रिस्पांस बल में भारतीय सेना/नौसेना के सेवानिवृत्त कमीशन प्राप्त/जूनियर कमीशन प्राप्त/नन कमीशन प्राप्त अधिकारी एवं जवानों तथा बिहार गृह रक्षा वाहिनी (स्पेशल बटालियन) के जवानों की संविदा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0 698/आ0प्र0, दिनांक–16.03.2010 की कंडिका 5 (iii) में वर्णित नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन की स्वीकृति।

आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प सं0 698 दिनांक–16.03.2010 की कंडिका 5(iii) के द्वारा राज्य आपदा रिस्पांस बल में नियुक्ति की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :–

"एन0डी0आर0एफ0 के बटालियन के पैटर्न पर एस0डी0आर0एफ0 में कुल 18 श्रेणी/रैंक के 1157 पद होंगे। इसके लिए अलग से भर्त्ती नियमावली बनाई जाएगी। बटालियन के विभिन्न पदों पर यथानुसार भारतीय सेना/नौसेना के सेवानिवृत्त कमीशन प्राप्त/जुनियर कमीशन प्राप्त/नन कमीशन प्राप्त अधिकारियों एवं जवानों की नियुक्ति संविदा के आधार पर एकमुश्त वेतन/मानदेय के आधार पर की जायेगी। इन पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार मिलिट्री पुलिस (BMP)/जिला सशस्त्र पुलिस (DAP)/बिहार गृह रक्षा वाहिनी (स्पेशल बटालियन)/केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल (CPMF) के अधिकारियों/जवानों की सेवा भी ली जा सकेगी। नियुक्ति में तैराकी, गोताखोरी, मोटरबोट चालन में निपुण जवानों को प्राथमिकता दी जायेगी।

जुनियर कमीशन प्राप्त/नन कमीशन प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष एवं कमीशन प्राप्त अधिकारियो की नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष होगी। जवानों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होगी। सभी कर्मियों को 3 (तीन) वर्षों के लिए नियुक्त किया जायेगा तथा उनकी कार्यदक्षता एवं आचरण के आधार पर अगले 2 (दो) वर्षों तक सेवा विस्तार दिया जा सकेगा।"

2. आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के उक्त संकल्प सं0 698/आ0प्र0, दिनांक–16.03.2010 की कंडिका 5 (iii) में वर्णित उपरोक्त नियुक्ति प्रक्रिया में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

"5 (iii) नियुक्ति प्रक्रिया – एन0डी0आर0एफ0 के बटालियन के पैटर्न पर एस0डी0आर0एफ0 में कुल 18 श्रेणी/रैंक के 1157 पद होंगे। इसके लिए अलग से भर्त्ती नियमावली बनाई जाएगी। बटालियन के विभिन्न पदों पर यथानुसार भारतीय सेना/नौसेना के सेवानिवृत्त कमीशन प्राप्त/जुनियर कमीशन प्राप्त/नन कमीशन प्राप्त अधिकारियों एवं जवानों की नियुक्ति संविदा के आधार पर एकमुश्त वेतन/मानदेय के आधार पर की जायेगी। इन पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार मिलिट्री पुलिस (BMP)/जिला सशस्त्र पुलिस (DAP)/बिहार गृह रक्षा वाहिनी (स्पेशल बटालियन)/केन्द्रीय अर्द्धसैनिक

बल (CPMF) के अधिकारियों/जवानों की सेवा भी ली जा सकेगी। नियुक्ति में तैराकी, गोताखोरी, मोटरबोट चालन में निपुण जवानों को प्राथमिकता दी जायेगी।

जुनियर कमीशन प्राप्त/नन कमीशन प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष एवं कमीशन प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष होगी। जवानों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होगी। सभी कर्मियों को 3 (तीन) वर्षों के लिए नियुक्त किया जायेगा तथा उनकी कार्यदक्षता एवं आचरण के आधार पर अगले 5 (पांच) वर्षों तक सेवा विस्तार दिया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में इन कर्मियों को 2 (दो) वर्षो के लिए अतिरिक्त सेवा विस्तार दिया जा सकेगा, परन्तु किसी भी परिस्थिति में कर्मी के 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् सेवा विस्तार नहीं दिया जायेगा।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित पदाधिकारियों तथा संबंधित विभागों को दी जाय।

विश्वासभाजन

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–2/स्था0–17–26/2008....1486/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 30/5/17

प्रतिलिपि– अधीक्षक, बिहार सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसे राज्य के अगले गजट के असाधारण अंक में मुद्रित कराकर इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–2/स्था0–17–26/2008....1486/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 30/5/17

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग/ पुलिस महानिदेशक–सह–महानिरीक्षक, बिहार, पटना/महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना/गृह सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–2/स्था0–17–26/2008....1486/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 30/5/17

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, बिहार/मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–2/स्था0–17–26/2008........1486/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 30/5/17

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/स्थापना शाखा (5 प्रतियों में)/योजना एवं बजट शाखा (5 प्रतियो मे) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव